क्रम-संख्या–164(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025

आश्विन 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1769 / ग्यारह-2–25-9(47)-17-टी0सी0-296-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(365)-2025

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2025

शुद्धि–पत्र

प0आ0–172

राज्य कर अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1700 / ग्यारह-2–25-9(47) / 17-टी0सी0-285-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(360)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में,–

(i) पृष्ठ 8 क्रम संख्या 121 में, ^*रबर'' के स्थान पर ^*इरेजर'' पढ़ें

(ii) पृष्ठ 10 क्रम संख्या 167 में, ''पूजा सामग्री अर्थातः–, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ;, पंचामृत,, विभूति,, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका ^*के स्थान पर,

^*पूजा समागरी अर्थातः–

(i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);

(ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);

(iii) लकड़ी की खड़ाऊ;

(iv) पंचामृत;

(v) विभूति;

(vi) बिना ब्रांड वाला शहद;

(vii) दीये की बाती;

(viii) रोली;

(ix) कलावा (रक्षा सूत्र);

(x) चंदन टिका'' पढ़ें;

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 209 राजपत्र–2025–(625)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 राज्य कर–2025–(626)–500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।